हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 03/2023 बअनवान रूखमणाराम वगै. बनाम करनाराम वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नवनीत कुमार आर ए एस

आदेश

दिनांक 17.02.2025

उपस्थिति

1. अपीलांट की तरफ से अधिवक्ता श्री रतनाराम चौधरी
2. उतरदाता की तरफ से अधिवक्ता श्री विष्णु चौधरी

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओ की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायायल द्वारा हस्तगत आवेदन में अपीलाधीन आलोच्य आदेश एकपक्षीय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्धातों व उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये अधिमतों के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि से परे जाकर उतरदाता को नामांतकरण खोलने की छूट दी गई। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। मामला प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनों ही बिंदु अपीलांट के पक्ष में है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

उतरदाता के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामांतकरण की छूट दी गई उसकी पालना में नामांतकरण भरा जा चुका है तथा शेष स्थगन आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल वाद के निस्तारण तक कंफर्म किया गया है। इसलिए हस्तगत अपील का कोई औचित्य नहीं है। अतः अपीलांटस की अपील को खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के प्रार्थना–पत्र में पारित आदेश के विरूद्ध पेश की गई। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी

का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये विप्रार्थी संख्या 18 द्वारा पंजीयन दस्तावेज से क्रय की गई भूमि के नामांतकरण की छूट स्थगन आदेश में दी जाकर शेष स्थगन आदेश तावाद कन्फर्म किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी स्थाई व्यादेश आज भी प्रभाव में है। उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं ने वक्त बहस इस बात को स्वीकार किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश से नामांतकरण की छूट दी गई उसे भर दिया गया है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपीलांट द्वारा पेश अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौहटन द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 81/2018 बउनवान रुखमणाराम वगैरा बनाम करनाराम वगैरह में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.12.2022 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। आदेश सरे इजलास दिनांक 17.02.2025 को सुनाया गया।

17/2/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर